

माननीय सभापति: अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

श्री जितिन प्रसाद।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद) : माननीय सभापति महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (1) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 6 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ.2040(अ) जो दिनांक 7 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 14 सितम्बर, 2020 की अधिसूचना संख्या का.आ.3127(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) (एक) निर्यात निरीक्षण परिषद (इसकी निर्यात निरीक्षण एजेंसियों सहित), नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
(दो) निर्यात निरीक्षण परिषद (इसकी निर्यात निरीक्षण एजेंसियों सहित), नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
(तीन) निर्यात निरीक्षण परिषद (इसकी निर्यात निरीक्षण एजेंसियों सहित), नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3029/18/25]

? (व्यवधान)

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाथ ठाकुर): माननीय सभापति महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

- (एक) उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) चौथा संशोधन आदेश, 2025 जो दिनांक 26 मई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.2346(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (दो) उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) पाँचवां संशोधन आदेश, 2025 जो दिनांक 10 जून, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.2539(अ) में प्रकाशित हुआ था।
- (तीन) उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 2025 जो दिनांक 18 मार्च, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ.1236(अ) में प्रकाशित हुआ था।

[Placed in Library, See No. LT 3030/18/25]

- (2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

- (एक) आंध्र प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2021-2022 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
- (दो) आंध्र प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2021-2022 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ।

- (3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3031/18/25]

- (4) पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 97 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

- (एक) पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण (संशोधन) नियम, 2025 जो दिनांक 2 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.440(अ) में प्रकाशित हुए थे।

- (दो) पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण (संशोधन) विनियम, 2025 जो दिनांक 21 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.483(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 3032/18/25]

? (व्यवधान)

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडि संजय कुमार) : माननीय सभापति महोदया, श्री नित्यानंद जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-
 - (एक) चंडीगढ़ औद्योगिक एवं पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, चंडीगढ़ के वर्ष 2022-2023 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण ।
 - (दो) चंडीगढ़ औद्योगिक एवं पर्यटन विकास निगम लिमिटेड, चंडीगढ़ का वर्ष 2022-2023 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ ।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 3033/18/25]

- (3) आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 77 के अंतर्गत आपदा प्रबंधन राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (प्रक्रिया) नियम, 2025, जो दिनांक 23 जुलाई, 2025 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि.489(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 3034/18/25]

- (4) हिन्दी के प्रसार एवं विकास की गति को बढ़ाने तथा संघ के विभिन्न राजकीय प्रयोजनों के लिए इसके उत्तरोत्तर प्रयोग हेतु वर्ष 2023-2024 के लिए कार्यक्रम तथा इसके कार्यान्वयन हेतु 55वें वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[Placed in Library, See No. LT 3035/18/25]

? (व्यवधान)

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एस. पी. सिंह बघेल)
: माननीय सभापति महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :-

- (1) (एक) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी संघ लिमिटेड, आणंद के वर्ष 2024-2025 के वार्षिक लेखाओं पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

- (दो) भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी संघ लिमिटेड, आणंद के वर्ष 2024-2025 के लेखापरीक्षित लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3036/18/25]

? (व्यवधान)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी. एल. वर्मा) : माननीय सभापति महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उपधारा 1(ख) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-
- (एक) नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2023-2024 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।
- (दो) नेशनल दिव्यांगजन फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नई दिल्ली का वर्ष 2023-2024 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 3037/18/25]

? (व्यवधान)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE; AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Hon. Chairperson, Madam, with your kind permission, on behalf of my colleague Shri Pabitra Margherita, I rise to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Silk Board, Bengaluru, for the year 2023-2024.
- (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Central Silk Board, Bengaluru, for the year

2023-2024, together with Audit Report thereon.

- (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Central Silk Board, Bengaluru, for the year 2023-2024.

- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 3038/18/25]

- (3)
 - (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Jute Products Development & Export Promotion Council, Kolkata, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Jute Products Development & Export Promotion Council, Kolkata, for the year 2023-2024.

- (4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 3039/18/25]

- (5) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section 1(b) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-

- (i) Review by the Government of the working of the Birds Jute and Exports Limited, Kolkata, for the year 2023-2024.
 - (ii) Annual Report of the Birds Jute and Exports Limited, Kolkata, for the year 2023-2024, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

- (6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

[Placed in Library, See No. LT 3040/18/25]